

कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



Email ID:-ddustr@gmail.com,

deputydirectorustr@gmail.com

Ph.No. 07706-241229

क्र./मा.चि./सी/2182

गरियाबंद, दिनांक 23/05/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
एवं क्षेत्र संचालक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :- जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण की अनुमति बाबत। पंजीयन क्रमांक /FP/CG/OTHERS/149523/2021

संदर्भ :- 01.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-887A/1951 दिनांक 12.08.2021
02. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/..... दिनांक

—0000—

विषयांतर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग कार्यापालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण हेतु क्षेत्रफल — 0.828 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में चेक लिस्ट (बिन्दु क्रमांक 01 से 44 तक) अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र :- आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला धमतरी के रतावा — बिरनासिल्ली मार्ग में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु कुल रकबा 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।	1
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड/वनमण्डल कोड/शाखा कोड/वर्ष/पंजीयन क्रमांक) :- उक्त प्रकरण का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHERS/149523/2021 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि रुपये 24000/- का डी.डी. क्रमांक 855850 दिनांक 14.12.2021 को जमा किया गया है।	2-10
3	वन क्षेत्र विवरण :- उदंती — सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद वन मण्डल अन्तर्गत वनखण्ड बांसबरोली परिक्षेत्र सीतानदी के कक्ष क्र. 351 रकबा 0.418 हे., कक्ष क्र. 353 रकबा 0.410 हे. आरक्षित वन भूमि कुल रकबा 0.828 हे. आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।	11
4	गैर वन क्षेत्र विवरण :- निरंक।	12
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर :- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	13-14
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप :- प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	15-19
7	प्रपत्र 4 में प्रस्ताव :- संलग्न है।	20-27
8	प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टीप :- प्रोजेक्ट पर युजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	28-39
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र। :- संलग्न है।	40

10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र। :- युजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	41
11	पर्यावरण संरक्षण क्लीरेंस प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है। :-उक्त मार्ग भारत का राजपत्र असाधारण भाग -II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 के बिन्दु 7(f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	42-60
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) :- प्रस्ताव में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः आवश्यकता नहीं है।	61
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस :- भारत सरकार के दिशानिर्देश क्र. 7 - 69 /2011 - एफ. सी. दिनांक 01.08.2017 के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। दिशानिर्देश की प्रति संलग्न है।	62-68
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 03 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा) :- प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि विवरण की आवश्यकता नहीं है।	69
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा :- प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	70
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना :- According to the Handbook of Forest Conservation act 1980 under chapter 2 , compensatory afforestation , it is clarified in 2.6 (i) that - In the following cases, cost of plantation (including ten years maintenance)of ten times the number of trees likely to be felled or specified number of trees as may be specified in the order for diversion of forest land (subject to a minimum no. of 100 plants), shall be levied from the user agency towards compensatory afforestation for (b) Diversion of forest land up to one hectare. In this case no tree is likely to be felled and the area of proposed diversion is less than 1 hactare , so cost of plantation for 100 no. of trees can be lavied from user agency.	71-95
17	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र :- वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र (100 पौधों हेतु) संलग्न है।	96
18	अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण :- प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	97
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण :- प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः उल्लंघन किये जाने के कोई प्रकरण कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध लंबित नहीं है।	98
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही :- लागू नहीं है।	99
21	गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र :- व्यपवर्तन प्रस्ताव 1 हे. से कम वन क्षेत्र का है अतः गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	100
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान :- आवश्यकता नहीं है।	101
23	रिक्लेमेशन प्लान :- प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	102
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवर माइनिंग प्रकरण में) :- प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माइनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	103
25	व्यवस्थापन प्लान :- यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	104

26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भारा जावेगा :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा किया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग- 2 भरा गया है।	105-114
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र :- उक्त कार्य हेतु प्रभावित वन क्षेत्र में या उसके आसपास किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है।	115
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- संलग्न है।	116-133
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में :- संलग्न है।	134
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन रकबा हैं. :- 19.440 हे.	135
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे.में। :- निरंक है।	136-137
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20 /2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) :- प्रस्तावित परियोजना स्थल उदंती - सीतानदी वन्यप्राणी अभ्यारण की सीमा के अंदर स्थित है।	138
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में) :- 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है	139
34	वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 10-9/1998-FC दिनांक 12.05.2007 :- संलग्न है।	140-162
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007 :- प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	163
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र :- यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	164
37	Clearance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA Remittances to precede 2 nd stage clearance, (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 24.02.2010) :- यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	165
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it"(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008BHO/ 357 दिनांक 06.01.2011 :- भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।	166
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011) :- किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	167
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (Conservation) Act. 1980-Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011) :- Vocational Training Institute स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।	168
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009 :- आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि रुपये 24000/- का डी.डी. क्रमांक 855850 दिनांक 14.12.2021 को जमा किया गया है। जिसकी	169-171

	छायाप्रति पुष्टि हेतु संलग्न है।	
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) :- संलग्न है।	172-175
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010) :- प्रस्ताव विद्युत लाईन से सम्बंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	176
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण :- प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण निरंक है।	177
45	आवेदित वन क्षेत्र तथा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का DGPS सर्वे प्रतिवेदन :- आवेदित वन क्षेत्र का DGPS सर्वे प्रतिवेदन की वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति KML File सॉफ्ट प्रति के साथ संलग्न है।	178-200

संलग्न :-

1. प्रस्ताव 05 प्रतियों में मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट।
2. Wildlife Clearance Part I to V।
3. टाईम लाईन।

23/5/2022
उपनिदेशक

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद

पृ.क्र./मा.चि./सी/ 2183
प्रतिलिपि :-

गरियाबंद, दिनांक 23/05/2022

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) छ.ग. अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
“वर्तमान में किसी भी प्रकार के वनक्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है।”

23/5/2022

उपनिदेशक

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद